"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 488] रायपुर, शनिवार, दिनांक 3 अक्टूबर 2015— आश्विन 11, शक 1937

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-37/2015/वाक/पांच (65). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट वर्ष के लिये, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम एवं छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के उपबंधों से, उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अ. क्र.	व्यापारियों का वर्ग	वर्ष	धारा/नियम जिनसे छूट दी गई है	निर्बन्धन तथा शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 5 में यथाविनिर्दिष्ट वस्तु का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को छोड़कर, ऐसा पंजीकृत व्यापारी जिसकी सकल वार्षिक कुल विक्रय राशि रु. 1 करोड़ से कम है.	वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15	धारा 21 की उप-धारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (तीन) तथा नियम 20(2)(क)	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी, देय कर राशि तथा ब्याज यदि कोई हो के भुगतान पश्चात्, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार विहित प्ररूप-18 में ऑनलाईन विवरण वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु दिनांक 15-11-2015 तक, वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु दिनांक 15-12-2015 तक, वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु दिनांक 31-01-2016 तक तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु दिनांक 31-03-2016 तक प्रस्तुत कर देता है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की अनूसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 5 में विनिर्दिष्ट वस्तु का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को छोड़कर, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी, जिसकी सकल वार्षिक कुल विक्रय राशि रु. 1 करोड़ से कम है.	वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15	धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (ग), धारा 21 की उप-धारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (तीन), नियम 20(2) (क) तथा धारा 41 की उप-धारा (2)	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी, देय कर राशि तथा ब्याज यदि कोई हो के भुगतान पश्चात्, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार विहित प्ररूप-18 में ऑनलाईन विवरण वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु दिनांक 15-11-2015 तक, वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु दिनांक 15-12-2015 तक, वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु दिनांक 31-01-2016 तक तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु दिनांक 31-03-2016 तक प्रस्तुत कर देता है तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 कख के अंतर्गत यथा अपेक्षित ऑडिट रिपोर्ट की प्रति, वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है.
3.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) की अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 5 में यथाविनिर्दिष्ट वस्तु का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को छोड़कर, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी, जिसकी सकल वार्षिक कुल विक्रय राशि रु. 10 करोड़ या इससे अधिक है.	वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15	धारा 21 की उप-धारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (तीन) तथा नियम 20(2)(क)	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी, देय कर राशि तथा ब्याज यदि कोई हो, के भुगतान पश्चात्, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार विहित प्ररूप-18 में ऑनलाईन विवरण वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु दिनांक 15-11-2015 तक, वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु दिनांक 15-12-2015 तक, वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु दिनांक 31-01-2016 तक तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु दिनांक 31-03-2016 तक प्रस्तुत कर देता है तथा छत्तीसढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 53 के उप-नियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप-50 में ऑडिट रिपोर्ट की प्रति, वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ-10-37/2015/वाक/पांच (65). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-37/2015/वाक/पांच (65), दिनांक 30-09-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 30th September 2015

NOTIFICATION

No. F-10-37/2015/CT/V (65). — In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, exempts the class of dealers as specified in column (2) of the Schedule below, for the year as specified in column (3), from the provisions of the said Act and the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 as specified in column (4), subject to the restrictions and conditions specified in column (5) of the said Schedule, namely :-

SCHEDULE

S. No.	Class of dealers	Year	Section/rule from which exemption granted	Restrictions and conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Registered dealer, whose annual turnover is less than Rs. 1 crore, except dealer, who deals in goods as specified in S. No. 5 of Part III of Schedule II of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005)	Financial Years 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15	Clauses (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of Section 21 and rule 20(2)(a)	When the dealer specified in column (2), after payment of due tax amount with interest, if any, files a statement online in Form-18 prescribed as per the provisons of clause (b) of sub-section (1) of Section 19 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for the Financial Year 2011-12 up to 15-11-2015, for the Financial Year 2012-13 up to 15-12-2015, for the Financial Year 2013-14 up to 31-1-2016 and for the Financial Year 2014-15 up to 31-3-2016.
2.	Registered dealer, under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 whose annual turnover is less than Rs. 10 crore, except dealer, who deals in goods specified in S. No. 5 of Part III of Schedule II of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005)	Financial Years 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15	Clauses (c) of sub-section (1) of Section 19, clauses (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of Section 21, rule 20(2)(a) and sub-section (2) of Section 41	When the dealer specified in column (2), after payment of due tax amount with interest, if any, files a statement online in Form-18 prescribed as per the provisons of clause (b) of sub-section (1) of Section 19 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for the Financial Year 2011-12 up to 15-11-2015, for the Financial Year 2012-13 up to 15-12-2015, for the Financial Year 2013-14 up to 31-1-2016 and for the Financial Year 2014-15 up to 31-3-2016, shall furnish a copy of audit report, as required under Section 44AB of the Income Tax Act, 1961, before the Commercial Tax Officer.
3.	Registered dealer, under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005	Financial Years 2011-12, 2012-13, 2013-14	Clauses (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of Section 21 and rule 20(2)(a)	When the dealer specified in column (2), after payment of due tax amount with interest, if any, files a statement online in Form-18 prescribed as per the provisons of

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	whose annual turnover is Rs. 10 crore or more, except dealer, who deals in goods as specified in S. No. 5 of Part III of Schedule II of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005)	and 2014-15		clause (b) of sub-section (1) of Section 19 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for the Financial Year 2011-12 up to 15-11-2015, for the Financial Year 2012-13 up to 15-12-2015, for the Financial Year 2013-14 up to 31-1-2016 and for the Financial Year 2014-15 up to 31-3-2016, shall furnish a copy of audit report in Form-50 as specified in sub-rule (1) of rule 53 of Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 before the Commercial Tax officer.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-37/2015/वाक/पांच (66).— छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15-ख की उप-धारा (1) के खंड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1) में यथाविनिर्दिष्ट नियमों के अधीन पंजीकृत व्यवसायियों को निश्चित अवधि के भीतर विवरण प्रस्तुत करने से छूट प्रदान करती है तथा कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के लिए क्रमश: 15-11-2015, 15-12-2015, 31-1-2016 एवं 31-3-2016 तक वृद्धि करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

नियम जिनसे छूट दी गई है (1)	निर्बन्धन तथा शर्तें (2)
नियम 20(2)(ख) में यथाविनिर्दिष्ट प्ररूप-18 का भाग-ग	जबकि भाग-ग की जानकारी :- (क) अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल या अधिसूचना द्वारा छूट प्राप्त माल, या (ख) अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 1 एवं 2 में विनिर्दिष्ट माल, या (ग) अधिकतम खुदरा मूल्य पर दवाई के छत्तीसगढ़ राज्य में क्रय या विक्रय से संबंधित हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2015

क्रमांक एफ-10-37/2015/वाक/पांच (66). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-37/2015/वाक/पांच (66), दिनांक 30-09-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 30th September 2015

NOTIFICATION

No. F-10-37/2015/CT/V (66). — In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, exempts registered dealers from furnishing statement within the stipulated period under the rules as specified in column (1) of the Schedule below and extends subject to restrictions and conditions specified in column (2) for the Financial Year 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 upto 15-11-2015, 15-12-2015, 31-1-2016 and 31-3-2016 respectively, namely :-

SCHEDULE

Rule from which exemption is granted (1)	Restrictions and conditions (2)
Part-C of Form-18 as specified in rule 20(2)(b)	When the information of Part-C is related with purchase or sale within the state of Chhattisgarh of :- (a) Goods specified in Schedule I or goods exempted by notification, or (b) Goods specified in S. No. 1 and 2 of Part III of Schedule II, or (c) Medicine at maximum retail price.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.